चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी यातायात निरीक्षक श्री हरीराम यादव,आरक्षी रामकिशन एवं आरक्षी चन्द्रवीर ड्यूटी पर उपस्थित थे कि रामकुमार निवासी भौरी अपने रिस्तेदार राधेश्याम निवासी पश्चिम शरीरा जिला कौशाम्बी दो पहिया वाहन से कर्वी की ओर जा रहे थे कि कार से एक्सीडेन्ट होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रुपनारायण सिंह व उनकी टीम द्वारा अ0सं0 38/21 धारा 148,307,149,504,506 आईपीसी व 12 डीए एक्ट ,मु0अ0स0 03/26 धारा 147,148,149,323,504 आईपीसी व 12/14 डीए एक्ट , मु0अ0स0 112/16 धारा 147,148,308,323,504 आईपीसी 12/14 डीए एक्ट के वारंटी अभियुक्त लालकोल पुत्र बाबूकोल निवासी बडा कोलान डोडामाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री रुपनारायण सिंह

2.आरक्षी अतुल मिश्रा

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी पुलिस टीम द्वारा योजना बद्ध तरीके से ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.05.2026 को वादिनी सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय उदित कुमार निवासी ग्राम टिटहिरिया मजरा कोटरा खाम्भा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 25.05.2026 को समय लगभग शाम 07:40 बजे उनके पति उदित कुमार को गांव के चेतन निषाद उर्फ अंशू द्वारा फोन कर दुकान पर बुलाया गया। आरोप है कि पूर्व नियोजित योजना के तहत अभियुक्त द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए दुकान के पास बैठे उदित कुमार को ट्रैक्टर के अगले पहिये से टक्कर मार दी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके उपरांत अभियुक्त द्वारा ट्रैक्टर पीछे कर पुनः उनके ऊपर चढ़ा दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 173/2026 धारा 103(1), 61(2), 3(5), 115(2) बीएनएस बनाम—चेतन निषाद उर्फ अंशू पुत्र कल्लू निषाद,राममनोहर पुत्र बोधी,शशांक कुमार पुत्र राममोहन,बृजनंदन पुत्र राममोहन,पूजा देवी पत्नी शशांक कुमार निवासीगण ग्राम टिटहिरिया मजरा कोटरा खाम्भा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 28.05.2026 को थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त चेतन निषाद उर्फ अंशू पुत्र कल्लू निषाद को ब्रह्म आश्रम थाना मऊ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव

2.रि0आ0 अंकेश यादव

3.रि0आ0 अखिलेश

4.म0रि0आ0 शिखा
5.आरक्षी चालक कुलदीप द्विवेदी